


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

आदेश

क्रमांक C/5879 लेखा / 2022

जबलपुर, 21 नवम्बर, 2022

वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 661/आर-421/13/ब-1/चार भोपाल दिनांक 28.07.2021 की कंडिका-6 उप कंडिका 6.1 के अनुसार एवं रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक सी/2135/चार-3-1/2021 (मुख्य) दिनांक 06.05.2022 के अनुपालन में रजिस्ट्री के समस्त कय करने वाले अनुभागों को आदेशित किया जाता है कि वर्तमान वित्त वर्ष 2022-2023 में अपने अनुभाग से संबंधित लेखा शीर्ष में (सूची संलग्न) आपके द्वारा जो भी अनुमानित व्यय किया जाना है, उसकी लिखित सूचना लेखा शाखा में दिनांक 20.12.2022 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करें ताकि नियमानुसार लेखा शीर्ष में बची हुई राशि का समर्पण कर अन्य व्ययों में उपयोग किया जा सके, एवं यदि कमी हो तो, तदनुसार वांछित पुर्नवियोजन कराया जा सके।



(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5880 लेखा

जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के प्रमुख निजी सचिव की ओर सूचनार्थ।
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन/पी0पी0एस0) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. संचालक, राज्य न्यायिक अकादमी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर।
4. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आई0टी0/एस0ए0), उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर।
7. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
8. श्री/श्रीमती/कु0/सुश्री _____ अनुभाग अधिकारी/ इंचार्ज, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
9. सहायक बजट, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
10. प्रभारी सर्वर रूम, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर, उक्त सूचना पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(डी.आर.एस. सिंगरौल)
डिप्टी रजिस्ट्रार (एम)